



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 18, 1996 (PAUSA 28, 1917 SAKA)

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 17th/18th January, 1996

No. 8326-AH-5-95/796.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 48 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, and all other power enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, hereby, directs that those members, who are registered with the Haryana Veterinary Council and have completed five years and want to retain their names in the live register of Haryana Veterinary Council, should apply for renewalship along with a fee of rupees fifteen only. Renewal fee shall be due to be paid before the 1st day of April of the year to which it relates.

R. S. VARMA,

Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandry Department.

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17/18 जनवरी, 1996

संख्या 8326-पप-5-95/796.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 48 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि ऐसे सदस्य जो हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत हैं तथा पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद् के पशुधन रजिस्टर में अपने नाम रखना चाहते हैं, केवल पन्द्रह रुपये की फीस सहित नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। नवीनीकरण फीस सम्बन्धित वर्ष की अप्रैल के प्रथम दिन से पहले भुगतान के लिए देय होगी।

आर० एस० वर्मा,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन विभाग।